OFFICE OF THE SUPERINTENDENT,
RUHS HOSPITAL,
Sector – 11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur - 302033
Ph. : 0141-2795634 Email: supdt.ruhscms.hms.2020@ruhsraj.org

No. RUHS HMS/Store/2024-25/ 3106

Date: ..15../06/2024

ई–निविदा सूचना

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय के लिए कार्य की प्रकृति के आधार पर कुशल मैन पावर (सिक्यूरिटी मैन) सेवाओं के उपापन हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–उपापन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। (कुल अनुमानित लागत राशि रू. 80 लाख)

1.	Bid Download Start Date/Time	15../.06/2024 at 05:00 AM/PM onwards
2.	Bid Submission Start Date/Time	15../06/2024 at 06:00 AM/PM onwards
3.	Bid Submission End Date/Time	25../06 /2024 at 02:00 AM/PM
4.	Technical Bid Opening Date/Time	25../06 /2024 at [illegible]:00 AM/PM

- Details may be seen in the Bidding Document at https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in or on RUHS CMS website: www.ruhscms.org

Medical Superintendent,
RUHS Hospital, Jaipur

राज॰स्वा॰वि॰वि॰ आयुर्विज्ञान चिकित्सालय, जयपुर।

सेक्टर–11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर –302033

दूरभाष : 0141–2795634 ई–मेल –supdt.ruhscms.hms.2020@ruhsraj.org

क्रमांक : RUHS HMS/Store/2024-25/ 3106 Dated:-.15./06/2024

ई–निविदा सूचना

Project	राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय के लिए कार्य की प्रकृति के आधार पर कुशल मैनपावर (सिक्युरिटी मैन) सेवाओं के उपापन हेतु दर संविदा।
Mode of Bid Submission	Online through e-Procurement/ e-Tendering system at https://eproc.rajasthan.gov.in
Tendering Authority/ Purchaser	Medical Superintendent, RUHS Hospital, Sector – 11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur – 302033
Cost of Tender Document (non-refundable)	Rs. 1000.00 (Rs. One Thousand Only)
RISL processing fee (non-refundable)	Rs. 500.00 (Rs. Five Hundred Only)
Total Estimated Cost	Rs. 80,00,000.00 (Rs. Eighty Lacs Only)
Bid Security (EMD)	2% of estimated cost Rs.1,60,000.00 (Rs. One Lacs Sixty Thousand Only)
Bid Download Start Date/ Time	15../.06./2024 at ..05:00 AM/PM onwards
Bid submission Start Date/Time	15../.06./2024 at .06:00 AM/PM onwards
Bid submission End Date/ Time	25../.06./2024 at .02:00 AM/PM
Submission of Demand Draft for Tender Fee, EMD, and Processing Fee	25../.06./2024 at .03:00 AM/PM
Technical Bid Opening Date/ Time	25../.06./2024 at .04:00 AM/PM
Financial Bid Opening Date/ Time	Will be intimated later to Technically Qualified Bidders
Websites for downloading Tender Document, Corrigendum's, Addendums etc.	https://eproc.rajasthan.gov.in,https://sppp.rajasthan.gov.in www.ruhscms.org

* In case, any of the bidders fails to physically submit the Demand Draft for Tender Fee, Bid Security Fee, and RISL Processing Fee up to 3.00 pm on 25../.06./2024, its Bid shall not be accepted. For RISL processing fees Demand Draft should be drawn in favour of "Managing Director RajCOMP Info Services Ltd" payable at Jaipur and for Tender Fee &Bid Security should be drawn in favour "Medical Superintendent, RUHS Hospital, Jaipur " payable at Jaipur from any Scheduled Commercial Bank.

1. The bid should be submitted through e-portal all the clarifications/ modifications/amendments agreed & issued by RUHS CMS. The bid shall only be submitted through e-procurement portal https://eproc.rajasthan.gov.in of Govt. of Rajasthan. Bids shall not be accepted in physical form in any condition.
2. The bidding process shall be subject to the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 and Rules 2013 made there under.

Date: **Medical Superintendent**

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

प्रपत्र–(अ)तकनीकी प्रस्ताव की शर्तें:

A. कार्य का विवरण: राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान चिकित्सालय के लिए कार्य की प्रकृति के आधार पर कुशल मैन पावर (सिक्युरिटी मैन) सेवाओं के उपापन हेतु दर संविदा प्रपत्र।

B. संदर्भ : दर संविदा सूचना क्रमांक 3106 दिनांक 15-06-2024

C. निविदा अनुमानित लागत–रू. 80.00 लाख (अक्षरे रू. अस्सी लाख मात्र)

D. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता...फोन नं./मोबाईल नं.. ई–मेल आई.डी. ....

E. Bank Detail of Firm as, Bank Name .... Account No. .... Branch Name & Address ....IFSC Code.............................

F. पंजीयन संख्या व दस्तावेज (छायांप्रति संलग्न करें)। (अनुलग्नक–02 के अनुसार ऑनलाईन अपलोड करें)।

G. निविदा शुल्क राशि रू 1000/– डी.डी./बैंकर चैक सं.......................दिनांक.....................

H. बोली प्रतिभूति राशि रू. 1,60,000/–डी.डी./बैंकर चैक सं....................दिनांक................

I. ई–टेण्डर प्रकिया शुल्क राशि रू 500/–का डी.डी./बैंकर चैक सं....................दिनांक...............

J. निविदादाता फर्म को निविदा राशि, बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. जोकि Medical Superintendent, RUHS Hospital, Jaipur के पक्ष में देय एवं ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क का डी.डी. Managing Director RajComp Info Services Limited, Payable at Jaipur का संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

K. निविदादाता फर्म द्वारा स्वयं के लेटर हैड पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा समस्त निविदा को भलीभाति पढ़ लिया गया है एवं संस्था/फर्म का कोई भी निदेशक/प्रबन्धन/प्रोपराईटर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति नहीं है तथा उसकी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

L. निविदादाता द्वारा संलग्न अनुलग्नक भरना अनिवार्य है। अनुलग्नक–3 वित्तीय निविदा ऑनलाईन भरी जावेगी। जिसमें निविदादाता द्वारा केवल कॉलम संख्या–06 की ही पूर्ति की जावेगी।

M. निविदा एक वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधाननुसार अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमती से नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।

N. निविदादाता फर्म का केन्द्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (GST), श्रम विभाग व कर्मचारी भविष्य निधि (पी.एफ.) विभाग में पंजीयन आवश्यक है।

O. निविदादाता फर्म का पेन नम्बर होना आवश्यक है।

P. तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

Q. निविदादाता द्वारा संलग्न सभी परिशिष्ठ को भरना अनिवार्य है।

R. Bid shall remain valid for 90 days.

S. निविदा में संलग्न कुल पृष्ठों की संख्या 25 है।

मैने तकनीकी प्रस्ताव की सभी शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ लिया है तथा मैं निविदा की सभी शर्तों से सहमत हूँ।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

—: ई–टेण्डर के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :—

1. इस निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in & www.ruhscms.org डाउनलोड कर सकते है।
2. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।
3. निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
4. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रानिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
5. ऑनलाईन निविदांऐ निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्तानुसार खोली जाएगी।
6. इलेक्ट्रानिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।
7. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो चिकित्सालय उपापन संस्था इसकी जिम्मेदार नहीं होगी।
8. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. निविदा सूचना इंटरनेट साईट पर https://eproc.rajasthan.gov.in& https://sppp.rajasthan.gov.in & www.ruhscms.org पर भी उपलब्ध है।
10. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
11. इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in & https://sppp.rajasthan.gov.in & www.ruhscms.org पर प्रकाशित किया जावेगा जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संशोधन, अलग से समाचार पत्रो में प्रकाशन नही किया जायेगा।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

दर संविदा की शर्ते एवं कार्य विवरणः–

राज॰स्वा॰वि॰वि॰ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय के लिए कार्य की प्रकृति के आधार पर मैन पावर सेवाओं (सिक्युरिटी मैन) के उपापन की आवश्यकता है, जिसके लिए दरें निम्न शर्तों एवं नियमों के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिये मांगी गई है। फर्म द्वारा दरें, निविदा में उल्लेखित शर्तों को भली भांति पढ़कर प्रस्तुत की जावे, जिसमें बाद में किसी प्रकार का परिर्वतन स्वीकार नहीं किया जाएगाः–

1. निविदा एक वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधाननुसार अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमती से नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. श्रम विभाग, राज्य सरकार द्वारा सिक्यूरिटी मैन को निर्धारित न्यूनतम दर पर फर्म द्वारा भुगतान करना होगा। निर्धारित दरों के अनुसार राशि में से अनुमोदित फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जावेगी। सिक्यूरिटी मैन को देय सम्पूर्ण राशि का भुगतान उसके बैंक खाते में किया जावेगा। भुगतान की पुष्टि हेतु आगामी माह के बिल के साथ बैंक स्टेटमेन्ट, जिसमें सिक्यूरिटी मैन का नाम, खाता संख्या व भुगतान की राशि का विवरण चिन्हित कर प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में अंकित दरों में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा न ही किसी प्रकार की शर्त मान्य होगी।
5. चिकित्सा अधीक्षक, राज.स्वा.वि.वि. चिकित्सालय के आदेशानुसार ही कुशल सिक्यूरिटी मैन उपलब्ध कराने होगें, जिसके लिए पृथक से आवश्यकतानुसार कार्यादेश जारी किया जाएगा।
6. अनुबन्धित सिक्यूरिटी मैन द्वारा चिकित्सालय सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति राशि अनुबन्धकर्ता से वसूल की जावेगी।
7. सफल निविदादाता को नियमानुसार राशि रू॰ 1000/–के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस निविदा में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने एवं बाध्यता के संबध में इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।
8. अनुबन्ध को बीच में छोडने या अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन पर जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) चिकित्सालय प्रशासन द्वारा जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध की शेष अवधि में होने वाले अधिक व्यय/नुकसान/हानि की वसूली अनुबन्धकर्ता से की जावेगी।
9. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी। स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जाएगी।
10. अनुबन्ध की अवधि में किसी मैन पावर की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में चिकित्सालय प्रशासन की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा और न ही इस सम्बन्ध में चिकित्सालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

11. अनुबन्धकर्ता का यह दायित्व होगा कि आदेश के अनुसार सिक्यूरिटी मैन उपलब्ध करायेगा, यदि निर्धारित संख्या में सिक्यूरिटी मैन उपलब्ध नहीं कराने की अवस्था में कम संख्या में उपलब्ध कराये गये सिक्यूरिटी मैन का देय दरों अनुसार भुगतान नहीं किया जाएगा तथा फर्म पर राशि रू. 500/– प्रति दिवस की शास्ति लगाई जाकर राशि वसूल की जावेगी।
12. सिक्यूरिटी मैन का नाम, पता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवी पास के दस्तावेज चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सिक्यूरिटी मैन, इस चिकित्सालय को देने होंगे। जैसे ही कर्मचारी बदला जावें, उसकी सूचना मय सम्पूर्ण विवरण के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
13. इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. कार्यरत सिक्यूरिटी मैन को फर्म द्वारा निर्धारित वर्दी के साथ जारी पहचान पत्र भी ड्यूटी समय पर पहनना होगा।
15. सिविल सुरक्षा गार्ड हेतु सिक्यूरिटी मैन का आवश्यक योग्यता धारित होना आवश्यक है और वांछनीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
16. चिकित्सालय में सिक्यूरिटी मैनपावर सेवा हेतु लगाए जाने वाले विभिन्न बिन्दु का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	आवश्यक बिन्दुओ की कुल संख्या
1.	**कुशल श्रमिक (Skilled Labour Related Work)** सिक्यूरिटी मैन पावर सेवा हेतु।	40

17.
18. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कुशल श्रमिक, निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने वाली निविदादाता/फर्म द्वारा कुल राशि पर लिये जाने वाला सेवा शुल्क (राशि में) निविदा प्रपत्र के साथ वित्तीय निविदा प्रपत्र (अनुलग्नक–3) में अंकित करें जिस सेवा शुल्क पर निविदाता /फर्म उक्त मैन पावर उपलब्ध करायें जायेंगे। इसके अतिरिक्त निविदादाता/फर्म को किसी प्रकार का कोई शुल्क/राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. न्यूनतम दर दाता फर्म को स्वीकार करने हेतु कमेटी बाध्य नहीं होगी।
20. निविदादाता फर्म को कुशल सिक्यूरिटी मैन की आपुर्ति के कार्य का राजकीय कार्यालयों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/राजकीय विश्वविद्यालयों/राजकीय चिकित्सालयों में कम से कम 3 वर्षो का कार्यानुभव होना आवश्यक होगा। फर्म को कार्यानुभव के लिए राजकीय कार्यालयों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/राजकीय विश्वविद्यालयों/राजकीय चिकित्सालयों में किये गये कार्यों का कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रतियां (जिसमें कार्य की अवधि एवं मैन पावर की संख्या का स्पष्ट उल्लेख हो) लगानी होगी, अन्यथा अस्पष्ट अनुभव अवधि को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
21. निविदादाता फर्म का पिछले तीन वर्षों (31 मार्च 2024 तक) का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म से प्रमाणित वार्षिक टर्नऑवर कम से कम राशि रू. 200.00 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है। अनुलग्नक–4 अनुसार प्रति संलग्न करें।
22. कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क राशि में न्यूनतम प्राप्त सेवा शुल्क राशि में अन्य निविदादाता/फर्म के सेवा शुल्क राशि में समानता/एकरूपता होने पर निविदादाता/फर्म में से (अर्थात समानता/एकरूपता वाले सेवा शुल्क राशि वाली निविदादाता/फर्मो में से अधिक कार्यानुभव अवधि एवं राजकीय चिकित्सालय में सिक्यूरिटी मैन पावर सेवा प्रदायगी करने वाली फर्म (अनुलग्नक–1 उक्त निविदा का ही पार्ट होगा) के कार्यानुभव को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

23. अनुबन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये मैन पावर निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे।
24. मैन पावर ड्यूटी समय पर अपने कार्य स्थल को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जावेंगे।
25. अनुबन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्यूरिटी मैन ड्यूटी समय में अपने कार्य स्थल की ड्यूटी का कार्य अन्य कर्मचारी को सम्भालने तक करेंगे तथा ड्यूटी अवधि में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये सम्बन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा चिकित्सालय प्रशासन किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में चिकित्सालय के विरूद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
26. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले मैन पावर के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता फर्म उत्तरदायी रहेगी।
27. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में चिकित्सालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर ही रहेगा।
28. निविदा के साथ निविदादाता को अनुलग्नक–2 में वर्णित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा को अपूर्ण मानते हुए तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया जाएगा।
29. निविदा सूचना में अंकित शर्तें निविदा प्रपत्र का भाग माना जाएगा। उक्त की अवेहलना/पूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
30. निविदा सूचना में कार्य की प्रकृति के आधार पर आवश्यक कुशल श्रमिक की वर्णित संख्या को कम व अधिक करने का राज॰स्वा॰वि॰वि॰ आयुर्विज्ञान चिकित्सालय को पूर्ण अधिकार होगा।
31. फर्म द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
32. सभी सिक्यूरिटी मैन को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा। साप्ताहिक अवकाश के दिवसों में सिक्यूरिटी मैन को छुट्टी दिए जाने पर उसके स्थान पर अन्य सिक्यूरिटी मैन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता फर्म की होगी।
33. सफल निविदादाता द्वारा किसी अन्य फर्म को आगे सबलेट नहीं किया सकेगा।
34. वित्तीय निविदा में निविदादाता द्वारा (अनुलग्नक–3) के कॉलम संख्या–06 की ही पूर्ति की जावेगी।
35. सफल निविदादाता फर्म द्वारा रखे गये सिक्यूरिटी मैन का पुलिस वैरिफिकेशन फर्म को कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर करवाकर आवश्यक रूप से चिकित्सालय में जमा करवाना होगा।
36. निविदादाता को राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं अन्य श्रम सम्बन्धी कानूनों की पूर्ण पालना करनी होगी। तदनुसार प्रावधायी निधि में राशि जमा कराने एवं वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व निविदादाता के होंगे। श्रमिकों को राजस्थान राज–पत्र दिनांक 06.11.1999 में प्रकाशित श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.11.1999 में वर्णित एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
37. श्रम सम्बन्धी कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उलंघन करने पर बिना सूचना दिये ठेका/निविदा को समाप्त किया जा सकता है।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

38. सफल निविदादाता की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा निविदा की शर्तो का उलंघन करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये किसी भी समय निविदा को समाप्त किया जा सकता है।
39. निविदा के किसी भाग/अंश/शर्त आदि में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।
40. निविदादाता का पी.एफ व ई.एस.आई. का पंजीयन संबंधित विभागों में होना आवश्यक है, तथा श्रमिकों की पी.एफ व ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का कानूनी एवं वित्तीय दायित्व स्वयं निविदादाता का होगा, चिकितसालय द्वारा इसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
41. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत् आवश्यक लाईसेन्स यथा– PASARA Licence अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह फर्म स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये मानदेय इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
42. यदि फर्म के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें चिकित्सा अधीक्षक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान चिकित्सालय, जयपुर प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाब दावा पेश करने में चिकित्सालय पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
43. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
44. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की समस्त शर्ते इस निविदा प्रपत्र की भाग होगी एवं सभी सम्बन्धित नियम यथावत लागू होंगे।

निविदा की विशिष्ट शर्ते

निविदादाता द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेजों में अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ–साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जावें।

1. न्यूनत्तम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता का होगा।
2. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समय पर अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता का होगा।
5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये निविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा निविदादाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान मय ई.सी. आर., भुगतान रसीद की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई. एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा।
8. निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
9. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. यदि निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
12. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. यदि निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

14. बोलीदाता (Bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन–पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है। सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसे द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियिम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।
15. फर्म के बिलों का भुगतान में किन्हीं प्रशासनिक कारणों से विलम्ब होने पर फर्म द्वारा ब्याज मांगे जाने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. सिक्यूरिटी मैन द्वारा कर्तव्य स्थान पर आवश्यक परिस्थितियों के अलावा अनावश्यक रूप से मोबाईल पर वार्तालाप, मोबाईल पर वीडियो गेम खेलना इत्यादि गतिविधियाँ निषेध होंगी। शिकायत प्राप्त होने पर सिक्यूरिटी मैन को हटा दिया जायेगा।
17. सिक्यूरिटी मैन के अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जायेगा।
18. चिकित्सालय परिसर में अवस्थित परिसम्पत्तियों की सुरक्षा जिम्मेदारी के साथ करनी होगी।
19. चिकित्सालय के अधिकारियों/कर्मचारियों/रोगियों/परिजनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखना होगा।
20. चिकित्सालय परिसर में चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष सावधानी के साथ ड्यूटी करनी होगी। चोरी इत्यादि की घटना पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सुरक्षा को तत्काल अवगत कराना होगा तथा चिकित्सालय में कमरों के ताले लगाकर चेक किया जाएगा।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र

अनुलग्नक–1

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्य की प्रकृति के आधार पर कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने वाली निविदा के बिन्दु **संख्या 20** पर उल्लेखित श्रमिक (सिक्यूरिटी मैन) उपलब्ध कराने हेतु निविदादाता (निविदादाता/फर्म का नाम) .... द्वारा प्रस्तुत किये गये सेवा शुल्क राशि में उक्त निविदा हेतु अन्य निविदादाता/फर्म के सेवा शुल्क राशि में समानता/एकरूपता होने की स्थिति में, समानता/एकरूपता निविदादाता/फर्मों में से अधिक कार्यानुभव अवधि एवं राजकीय चिकित्सालय में अधिकतम संख्या में सिक्यूरिटी मैन पावर सेवा प्रदायगी करने वाली फर्म को राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान चिकित्सालय द्वारा अनुबन्ध/कार्यादेश किये/दिये जाने पर निविदादाता (निविदादाता/फर्म का नाम) .... को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

(उक्तप्रमाण पत्र निविदादाता को अपने लेटर हेड पर प्रस्तुत करनाहोगा।)

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

अनुलग्नक–2

राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय में कार्य की प्रकृति के आधार पर मैन पावर सेवा(सिक्यूरिटी मैन) के उपापन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र।

1.	Name of Firm with Permanent Address	
2.	Name of Proprietor with Contact Details (Phone/Mobile No./Email ID etc.)	
3.	Tender Fee Details	
4.	Bid Security (EMD Details)	
5.	RISL Processing Fee Details (if applicable)	
6.	Copy of GST Registration (attested photocopy of registration to be attached positively)	
7.	Whether Firm is Registered in Composition Scheme under GST (YES/No) if YES, then enclose relevant document.	
8.	Copy of PAN Card	
9.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुसार पंजीयन प्रमाण–पत्र (कापी संलग्न करना अनिवार्य)	
10.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन एक्ट 1956 के अन्तर्गत (कापी संलग्न करना अनिवार्य)	

निविदादाता / फर्म के हस्ताक्षर मय सील

11.	Whether firm have attached Registration certificate of EPF Department (कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952) (कापी संलग्न करना अनिवार्य)	
12.	Whether firm have attached Registration certificate of ESIC Department (कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948) (कापी संलग्न करना अनिवार्य)	
13.	Whether firm have attached 3 years similar work experience related work orders or Experience Certificate in Govt./Autonomous Department/Govt. Hospitals. Preference will be given to firm who have Experience of Providing Maximum Security Man Power Supply and have Maximum Work Experience Period.	
14.	Annual turnover of the manpower firm / agency / company as evident from IT returns, Should not be less than Rs. 200.00 lacs per Year in last three years ending 31st March 2024. Copies of the P&L, Turnover Certificate and Balance Sheet certified by CA to be enclosed	

निविदादाता / फर्म के हस्ताक्षर मय सील

15.	Details of Firm's Bank Account No., Branch, IFSC Code	
16.	Duly Sealed and Signed Tender Document (including any Corrigendum/amendment in technical specifications or tender terms & conditions)	

निविदादाता / फर्म के हस्ताक्षर मय सील

Financial Bid Format

Tender Inviting Authority: Medical Superintendent, RUHS Hospital, Jaipur
NAME OF WORK: **Rate Contract for Procurement of Skilled Man Power (Security Man) as per nature of Work at RUHS Hospital, Jaipur**
Bidder Firm Name: ....

S.No.	Nature of Work	Estimated No. of Human Resources	Rate Approved by Labour Department Government of Rajasthan (Rate per person per day) in Rs.	E.P.F. @ 13.00 % Rs.	ESI @ 3.25% Rs.	Service Charge per person per day (in Rs.)	Total Amount in Rs. As per Coloum 3 to 6
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Skilled Man Power (Security Man)	40	309.00	40.17	10.04		

❖ GST Extra as per rules.

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

अनुलग्नक-04

टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टड अकाउन्टेन्ट (सी.ए.) द्वारा प्रमाणित

निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स /फर्म ....के विगत 3 वर्ष का टर्न ऑवर सी.ए. ऑडिट रिपोर्टस् के अनुसार निम्न प्रकार है : –

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर राशि (लाखों में)	संबंधित संलग्नक का पेज नम्बर	विशेष विवरण

संलग्न सी.ए. द्वारा जारी 3 वर्ष के प्रमाण पत्र एवं अन्तिम वार्षिक लेखे

उक्त विवरण विगत उल्लेखित वित्तीय वर्षों की सी.ए. ऑडिट रिपोर्टस् के आधार पर सत्य है।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

अनुलग्नक-05

अनुभव / कार्यादेश प्रमाण पत्र

निविदा सूचना कमांक .... दिनांक...................

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स /फर्म ....के विगत वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रारूप में प्रस्तुत है:–

क्र. सं.	जिस संस्थान में जिसमें कार्य की प्रकृति के आधार पर सेवाऐं उपलब्ध करवाई गई। उस संस्थान का नाम।	उपलब्ध करवाये गये कर्मियों की संख्या	अवधि (दिनांक से दिनांक तक)	अनुभव अवधि वर्ष / माह	संबंधित संलग्नक का पेज नम्बर
01					
02					

उक्त विवरण हमारी संस्था/फर्म द्वारा दिया गया जो सही है विवरण से संबंधित दस्तावेज/प्रमाण में संलग्न किये हुए है।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

अनुलग्नक-06

FORMAT OF CERTIFICATE

It is certified that I/We (Name of Contractor/Firm/Individual) .... has/have paid wages complying the provision of the Minimum Wages Act, 1948 for the month of .... Further, I/We hereby certify that I/We have also complied with the provisions of all relevant Act and Rules.

Dated:

Signature of Authorized Signatory
Name..
Name of the
Contractor/Firm/Individual(with Seal)

निविदादाता / फर्म के हस्ताक्षर मय सील

Annexure-7

Form-'B'
Form of Affidavit
(On Non-Judicial Stamp Paper worth Rs. 100/-)

I………………………………………S/o……………………Age…………Yrs…………
residing at …………………………Proprietor/Partner/Director of M/s…………………………
do hereby solemnly affirm and declare that:

a) My/Our above noted enterprises M/s………………………………… has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the Districts Industries Center ……………………… The acknowledgement No. is ……………………… Dated ………… And has issued for Manufacture of following items.

   i.
   ii.
   iii.
   iv.
   v.

b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and the enterprise is regularly manufacturing the above items.

c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Place ……………

Signature of Proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I …………………………………S/o ………………… Aged ……………………Yrs……….
Residing at ………………………… Proprietor/Partner/Director of M/s ………………………
Verify and confirm that the contents at (a), (b) & (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therein. So help me God.

DEPONENT

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

Annexure-A Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated...............I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have ful filled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/wearenot insolvent, in receivership, bankrupt or being woundup, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have,been convicted of any criminal offence related to my/our professional conductor the making of false statements or mis representations as to my/our qualifications to enter in to a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have ac onflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition.
6. The firm and its director/manager/proprietor has not been found guilty of malpractices, misconduct or blacklisted/debarred for the quoted product by medical & health Department Govt. of Rajasthan or by any local authority/autonomous body and other state Govt./Central Govt. organization in the past three years.

Date: Signature of bidder

Place:

Name:
Designation:
Address:

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority Registrar, RUHS, Jaipur

(1) Filing an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be,clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder a ssuccessful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of with in thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement
b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
c) The decision of whether or not to enter into negotiations
d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

निविदादाता / फर्म के हस्ताक्षर मय सील

(5) **Form of Appeals:-**

(a) An appeal under Para(1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in theappeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against,ifany, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment offee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority,as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee forfilling Appeal:-**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall benon-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of

a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of Appeal:-**

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filingof appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority,as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an

order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

Annexure D-Additional Conditions of Contract

Right to vary quantity:-

(1) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased, but such increase shall not exceed fifty percent of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the bidding documents.

(2) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement of procures less than the quantity specified in the bidding documents due the change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

(3) Order for additional quantites may be placed, if allowed in the bidding documents, on the rates and conditions given in thee contract and the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limit off order for additional qualities shall be as under:-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

(iii) If the purchase officer does not purchase any of the tendered articles or purchase less than the quantity indicated in the tender from, the tenderer shall not be entitled to claim any compensation.

निविदादाता / फर्म के हस्ताक्षर मय सील

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012

AppealNo.......................................of ....

Before the.................................(First/SecondAppellate authority)

1- Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:
2- Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)
3- Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, Action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4- If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:

5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6- Grounds of appeal: ....
(Supported by an affidavit)
7-Prayer: ....

Place:...
Date: ....

Appellant's Signature

निविदादाता / फर्म के हस्ताक्षर मय सील

AGREEMENT

1. An agreement made this .... day of .... 20...... between .... (hereinafter called "the approved supplier"), which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and Medical Superintendent, RUHS Hospital, Jaipur include his successors in office and assigns of the other part.
2. Whereas the approved supplier has agreed with Medical Superintendent, RUHS Hospital, Jaipur, Jaipur to supply to the of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column in work order of said schedule.
3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs. .Draft No. dated.............against as Performance Security.
4. Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority. National Savings Certificates/Defense Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as Security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.
5. Now these Presents witness:
   In consideration of the payment to be made by Medical Superintendent, RUHS Hospital, Jaipur, Jaipur through cheques at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in __________ and ____________ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
6. The Procuring Entity do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, RUHS Hospital, Jaipur will through cheque pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment
7. The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. dated___and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

As per tender received from tenderer and letters nos.________ issued by the RUHS Hospital, Jaipur and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(a) The mode of Payment will be as specified below:
   1. As Per tender Conditions
   2. As per Bank conversion rate when bill is raised.

The delivery shall be affected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

S.No.	Name of Item	Quantity	Delivery period

(1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of Goods and Related Services which the Bidder has failed to supply:-

S.No.	Conditions	LD%
a.	Delay up to one fourth period of the prescribed period of delivery, successful installation and completion of subject matter of procurement.	2.5%

निविदादाता / फर्म के हस्ताक्षर मय सील

b.	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period of delivery, successful installation and completion of subject matter of procurement.	5.0%
c.	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period of delivery, successful installation and completion of subject matter of procurement.	7.5%
d.	Delay exceeding three fourth of the prescribed period of delivery, successful installation and completion of subject matter of procurement.	10.0%

Note:

i. Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

ii. The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.

ii. If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of Goods is on account of hindrances beyond the control of the Supplier.

Details of supply of item:

S.No.	Particulars	Discount offered in percentage of Printed rates
1.		
2.		

All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by Medical Superintendent, RUHS Hospital, Jaipur and the decision of Medical Superintendent, RUHS Hospital, Jaipur, Jaipur, shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the ....day of.........20.........

Signature of the approved supplier

Date:

Witness No.1:

Witness No.2:

Signature for and on behalf of

RUHS Hospital, Jaipur

Date:

Witness No.1:

Witness No.2:

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील